क्रम-संख्या–80

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शुक्रवार, 29 मई, 2020 ई0
(ज्येष्ठ 8, 1942 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 2814/दो-805ए (41)/261

प्रयागराज, दिनांक : 29 मई, 2020 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–31

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020

1–संक्षिप्त नाम और प्रारूप–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–नियम-5 का संशोधन–उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, 1976 में नियम-5 में–

(क) उप नियम (1) में–

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	**स्तम्भ-2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) स्प्रिट उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से प्राप्त की जायेगी।	(ग) स्प्रिट, उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से प्राप्त किया जायेगा परन्तु यह कि विशिष्टतया विकृत स्प्रिट का आयात अन्य राज्य अथवा देश से किया जा सकता है।

(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ञ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	**स्तम्भ-2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ञ) लाइसेन्स धारी प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा स्टाक का सत्यापन किये जाने के पश्चात् प्रत्येक कलेण्डर माह के अन्तिम कार्य दिवस को पाये गये विकृत स्प्रिट के 1.5 प्रतिशत से अधिक संग्रहण छीजन पर विकृत स्प्रिट पर प्रति लीटर विहित विक्रय फीस (वैण्ड फी) की दर से शास्ति का देनदार होगा।	(ञ) प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा स्टाक का सत्यापन किये जाने के पश्चात् प्रत्येक कलेण्डर माह के अन्तिम कार्य दिवस को पाये गये विकृत स्प्रिट के 1.5 प्रतिशत से अधिक संग्रहण छीजन संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 64 के अधीन अपराध होगा और धारा 74 के अधीन दण्डनीय होगा।

(ख) उप नियम (2) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 (विद्यमान खण्ड)	**स्तम्भ-2** (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(क) प्रयुक्त स्प्रिट में राज्य सरकार द्वारा उद्योग के लिये अनुमोदित विकर्ता पदार्थ मिला होगा। वह केवल उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से ही प्राप्त किया जायेगा।	(क) प्रयुक्त स्प्रिट में राज्य सरकार द्वारा उद्योग के लिये अनुमोदित विकृतिकारक पदार्थ अन्तर्विष्ट होंगे। वह उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से प्राप्त किया जायेगा परन्तु यह कि विशिष्टतया विकृत स्प्रिट का आयात अन्य राज्य या देश से किया जा सकता है।

पी0 गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No.2814/DO-805A(41)/261

Prayagraj, dated: May 29, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 41 of the Excise Act, 1910 (Act no. IV of 1910) and with the previous sanction of the State Government the Excise Commissioner makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Licenses for the possession of Denatured Sprit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976, as amended from time to time:

U.P. LICENSES FOR THE POSSESSION OF THE DENATURED SPIRIT AND SPECIALLY DENATURED SPIRIT (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement –(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Licenses for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-5–In the Uttar Pradesh Licenses for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976 in rule-5:

(a) in sub-rule (1)–

(i) for clause (c) set out in Column I below, the clause as set out in the Column II shall be substituted, namely–

Column I *Existing clause*	**Column II** *Clause as hereby substituted*
(c) The spirit shall be obtained from a distillery situated in Uttar Pradesh.	*(c)* The spirit shall be obtained from a distillery situated in Uttar Pradesh provided that Specially Denatured Sprit may be imported from other State or country.

(ii) for clause (j) set out in Column I below, the clause as set out in the Column II shall be substituted, namely–

Column I *Existing clause*	**Column II** *Clause as hereby substituted*
(j) The licensee shall be liable to pay a penalty at a rate equal to the prescribed rate of vend fee on denatured spirit per litre on storage wastage of denatured spirit exceeding 1.5 per cent found on the last working day of every calendar month after verification of the stock by the Excise Inspector In-charge.	*(j)* Storage wastage of denatured spirit exceeding 1.5 per cent found on the last working day of every calendar month after verification of the stock by the Excise Inspector In-charge shall be an offence under section 64 and punishable under section 74 of the U.P. Excise Act, 1910.

(b) in sub-rule (2) for clause (a) set out in Column I below, the clause as set out in Column II shall be substituted, namely–

Column I *Existing clause*	**Column II** *Clause as hereby substituted*
(a) The spirit used shall contain denaturants approved for the industry by the State Government. It shall be obtained for a distillery situate in Uttar Pradesh only.	*(a)* The spirit used shall contain denaturants approved for the industry by the State Government. It shall be obtained from a distillery situate in Uttar Pradesh provided that Specially Denatured Sprit may be imported from other State or country.

P. GURU PRASAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–9 असाधारण गज़ट–29.5.2020–1247 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।